म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556340, 2556760
Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक 2021/II-R/A-05/F-257/1015 भोपाल, दिनांक 12/11/2021

प्रति,

भोजपाल बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स प्रा०लि०,
सम्प्रवर्तक, कृष्णा विहार,
आर के टॉवर, मेज फ्लोर, 93-94,
जोन-02, एम०पी० नगर, भोपाल 462011

विषय-परियोजना- कृष्णा विहार, भोपाल (प्रोजेक्ट क्र.-251577124182) के संबंध में।

संदर्भ-परियोजना में सुनवाई दिनांक 10-11-2021

-O-

कृपया उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 10-11-2021 प्राधिकरण द्वारा की गई सुनवाई का स्मरण करे, जिसमें कि परियोजना कृष्णा विहार, भोपाल सशर्त मान्य किया गया है। परियोजना को पंजीयन क्र.- P-BPL-21-2995 आवंटित किया गया है। ***परियोजना प्रमाण पत्र संलग्न है।***

प्राधिकरण के आदेशानुसार मुझे यह सूचित करने के निर्देश है कि उक्त पंजीयन भू-सम्पदा(विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11 एवं भू-सम्पदा(विनियमन एवं विकास) नियम 2017 के नियम 9, 14, 15 एवं 16 उल्लेखित प्रावधानों के अतिरिक्त निम्न शर्त के अध्यधीन मान्य किया गया है :-

" 1. संप्रवर्तक अधिनियम की धारा 4(2)(ठ)(ई) के अनुसार आवंटितियों से इस भू-संपदा परियोजना के लिए समय-समय पर वसूल की गई रकमों का 70 प्रतिशत निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिए किसी अनुसूचित बैंक में पृथक खाता खोलेगा और उस खाते में जमा रकम सिर्फ इस परियोजना के प्रयोजन के लिए ही उपयोग कर सकेगा। संप्रवर्तक इस प्रकार खाता खोलकर जानकारी प्राधिकरण को 15 दिवस में उपलब्ध करायेगा।

निरंतर...

2. कम्पनी के समस्त डायरेक्टर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावे कि रेरा से पंजीकृत परियोजना के पूर्ण होने तक कम्पनी का लिक्विडेट नहीं किया जाएगा एवं प्रत्येक डायरेक्टर संयुक्त रूप से एवं पृथक्तः परियोजना एवं आवंटितियों के प्रति जबावदेह रहेंगे। सम्प्रवर्तक वांछित शपथ पत्र मूलतः प्राधिकरण को 15 दिवस में उपलब्ध करायेगा "

कृपया उपर्युक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(नीरज दुबे)
सचिव
म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

रेरा भवन अरेरा हिल्स, मेन रोड़ नम्बर 01, भोपाल

2021/II-R/A-05/F-257/1014

क्रमांक-F ~~/II-R/A-05/~~ रेरा/पंजीयन/2021 भोपाल दिनांक 12/11. 2021

प्रति,

भोजपाल बिल्डर्स एंड डेव्हलपर्स प्रा०लि०,
आर० के० टॉवर, मेज-फ्लोर-93-94.
जोन-2-एम०पी०नगर-भोपाल (म०प्र०)

विषयः— कृष्णा विहार भोपाल के पंजीयन हेतू आवेदन।

उपरोक्त विषयक कृष्णा विहार भोपाल (म.प्र.) का पंजीयन क्रमांक P-BPL-21-2995 का मूल प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(विनोद कुमार चतुर्वेदी)

उप सचिव

म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

Real Estate Regulatory Authority Madhya Pradesh | भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मध्य प्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, मेन रोड नं. 1, भोपाल-462011

प्ररूप "ग"
{नियम 6 (1) देखिए)}

परियोजना का पंजीयन प्रमाण-पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा 5 के अधीन निम्नलिखित परियोजना को परियोजना पंजीयन क्रमांक P-BPL-21-2995 अधीन मंजूर किया जाता है :- प्रोजेक्ट- कृष्णा विहार भोपाल म.प्र.

(परियोजना पते को सम्मिलित करते हुए परियोजना के ब्यौरे विनिर्दिष्ट कीजिए):

1. (व्यक्तिगत की दशा में) श्री/श्रीमती ....
पुत्र श्री/श्रीमती ....
तहसील .... जिला .... राज्य ....

या

(फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी की दशा में) भोजपाल बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स प्रा.लि.
फर्म/सोसाइटी/कंपनी सक्षम प्राधिकारी .... में इसका पंजीकृत कार्यालय/कारोबार का प्रमुख स्थान होगा। आर.के. टावर, मेजनफ्लोर- 93-94 एम.पी. नगर जोन-2

2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन मंजूर किया जाता है, अर्थात् -
   (एक) सम्प्रवर्तक "उपबंध-क" में यथा उपबंधित के साथ विक्रय हेतु करार करेगा।
   (दो) सम्प्रवर्तक धारा 17 के अनुसार कॉमन क्षेत्र या अपार्टमेंट के, जैसी भी स्थिति हो, आबंटिती के संघ या आबंटिती के पक्ष में हस्तांतरण विलेख को निष्पादित या पंजीकृत करेगा।
   (तीन) सम्प्रवर्तक धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के उपखण्ड (घ) के अनुसार निर्माण लागत तथा इस प्रयोजन के लिए उपयोग की जानेवाली भूमि की लागत को पूरा करने के लिए सम्प्रवर्तक द्वारा वसूली गई रकम का सत्तर प्रतिशत अनुसूचित बैंक में बनाए रखने के लिए अलग खाते में जमा करेगा।
   (चार) पंजीयन दिनांक 10-11-2021 से शुरू करते हुए 09-11-2024 के साथ समाप्त करते हुए 03 (तीन) वर्ष की कालावधि के लिए वैध होगा, यदि अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 8 के अनुसार रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण द्वारा नवीकृत नहीं कराया जाता है।
   (पांच) सम्प्रवर्तक इसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों को अधिनियम के उपबंधों के साथ लागू करेगा।
   (छः) सम्प्रवर्तक क्षेत्र में लागू जहां परियोजना का विकास किया जा रहा है तत्समय किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।

3. यदि उक्त उल्लिखित शर्तें सम्प्रवर्तक द्वारा पूरी नहीं की जाती हैं, तो विनियामक प्राधिकारी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार इसमें पंजीयन मंजूरी को प्रतिसंहत करते हुए सम्प्रवर्तक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा।

4. उक्त परियोजना प्रकरण में प्राधिकरण के आदेश में अंकित शर्तों के अध्यधीन।

दिनांक : 10-11-2021
स्थान : भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण